दिनांक–29.02.2020 को विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1 श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
2 श्री सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी)
3 श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग
4 श्री अनिल कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग
5 श्री राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव (स्थापना), नगर विकास एवं आवास विभाग
6 श्री जुल्फेकार अली प्यामी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शाहपुर (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी के रूप में)

2. विभाग अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों की औपबंधिक/प्रतीक्षा सूची का पैनल/अविचारण सूची विभागीय वेबसाईट पर दिनांक–26.02.2020 को अपलोड किया गया। उक्त सूची के विरूद्ध दिनांक–27.02.2020 से 28.02.2020 तक अभ्यर्थियों से दावा/आपत्ति की मांग की गयी थी, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट तथा समाचार पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी गयी थी।

3. उक्त के आलोक में 06 अभ्यर्थियों द्वारा दावा/आपत्ति प्राप्त हुआ, जिसपर समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा कॉलम–4 में मंतव्य अंकित किया गया, जो निम्नवत है:–

क्र0 सं0	आवेदक का नाम/कोटि/आवेदन संख्या	दावा/आपत्ति	मंतव्य
1	*2*	*3*	*4*
1	श्री जिज्ञाशु (BC) AEC/0004797	सहायक अभियंता (असैनिक) हेतु Selected List के Waiting List में नाम अंकित नहीं है जबकि उससे कम GATE SCORE वाले अभ्यर्थी का नाम Waiting List में है।	श्री जिज्ञाशु, BC-Male कोटि के अभ्यर्थी हैं, जिनका Counselling किया गया है। श्री जिज्ञाशु द्वारा प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन के पश्चात् BC-Male कोटि के क्रमांक–4 पर अंकित श्री मनीष कुमार के नाम के सम्मुख भूलवश हस्ताक्षर किया गया है, जबकि उन्हें क्रमांक–05 पर अंकित अपने नाम के सम्मुख हस्ताक्षर करना था। फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची पैनल में श्री जिज्ञाशु के बदले श्री मनीष कुमार का नाम अंकित हो गया। समिति द्वारा श्री जिज्ञाशु की उपस्थिति पंजी, प्रमाण–पत्र एवं हस्ताक्षर आदि की जांच की गयी, जिसमें सभी संगत अभिलेख सही पाया गया एवं श्री मनीष कुमार Counselling में अनुपस्थित पाये गये। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री जिज्ञाशु के दावे को स्वीकार करने की अनुशंसा की जाती है तथा श्री मनीष कुमार द्वारा Counselling में भाग नहीं लेने के कारण विचार योग्य नहीं पाया गया तथा उन्हें Waiting Panel List से हटाने की अनुशंसा की जाती है।

2	सुश्री प्रीति कुमारी (SC) AEC/0013594	सहायक अभियंता (असैनिक) हेतु आरक्षण कोटि–अनुसूचित जाति तथा GATE SCORE 419 है, जबकि Selected List में अनुसूचित जाति (महिला) का उच्चत्तम SCORE 467 तथा न्यूनतम 252 है।	समिति द्वारा इनके आवेदन पर विचार किया गया, जिसके क्रम में पाया गया कि आवेदन को Download एवं Filter के क्रम में सुश्री प्रीति कुमारी का नाम SC-Male कोटि के क्रम सं0–23 पर भूलवश अंकित हो गया। सुश्री कुमारी का नाम SC-Male कोटि में रहने के कारण उसी कोटि के प्रतीक्षा पैनल में डाला गया, जबकि SC-Female कोटि के पैनल में इनका नाम होना चाहिए था। अतः **समिति द्वारा सर्वसम्मति से सुश्री प्रीति कुमारी के दावे को स्वीकार करने की अनुशंसा की जाती है।**
3	श्री विश्वजीत कुमार (BC-DQ) AEC/0031619	सहायक अभियंता (असैनिक) के लिए Selected List में नाम अंकित नहीं है। GATE SCORE 347 है, जबकि Selected List के दिव्यांग कोटि में GATE SCORE 274 (Id No.-AEC/0014058) एवं 260 (Id No.-AEC/0035223) अंक वाले अभ्यर्थी का नाम अंकित है। दिव्यांग कोटि में विभिन्न वर्ग (UR, BC, EBC, SC एवं ST) का एक ही मेधा क्रमांक होता है, इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है।	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–13062 दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की कंडिका–2 (i) के प्रावधानानुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण (4%) एवं दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों आदि पर समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत समिति द्वारा दिव्यांग कोटि के औपबंधिक/ प्रतीक्षा सूची का पैनल/सूची में संशोधन करने की आवश्यकता बतायी गयी। **अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री विश्वजीत कुमार के दावे को स्वीकार करने की अनुशंसा की जाती है।**
4	श्री राकेश कुमार साफी, (SC-DQ) AEC/0020762	सहायक अभियंता (असैनिक) के लिए Selected List में नाम अंकित नही है। GATE SCORE 459 है, जबकि Selected List के दिव्यांग कोटि में उससे कम GATE SCORE वाले अभ्यर्थी का नाम Waiting List में है।	श्री राकेश कुमार साफी द्वारा अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–36 पर Counselling कराई गई एवं प्रमाण पत्रों आदि का जांच करवाया गया। श्री साफी का नाम Counselling सूची के दिव्यांग श्रेणी में अंकित नहीं होने के कारण SC कोटि के प्रतीक्षा पैनल सूची में अंकित हो गया। अतः **समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री साफी के दावे को स्वीकार करने की अनुशंसा की जाती है।**
5.	श्री राहुल कुमार, (BC) AEC/0020792	सहायक अभियंता (असैनिक) के लिए Selected List में नाम अंकित नही है। अनारक्षित कुल सीटो की संख्या–65 है, जिसमें महिला का 35% क्षैतिज आरक्षण के अनुसार 22 पद होना चाहिए, जबकि Selected List में महिला अभ्यर्थियों की संख्या–28 है, इस प्रकार 6 पद अधिक है। पिछड़े वर्ग की महिला (BCW) को 6 पद दिया गया है तो, पिछड़ा वर्ग की महिला को कुल 21 पद का 35% अर्थात 8 पद अलग से क्यों दिया गया है। पिछड़ी जाति में पिछड़ा वर्ग के लिए 21 एवं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 6 अर्थात कुल 27 पद होता है तथा इसका 35%, 9 पद होता है, परन्तु प्रकाशित परीक्षाफल में पिछड़ी जाति की सूची में 8 महिला और पिछड़े वर्ग की महिला में 6 महिला होने से (8+6) कुल 14 हो जाती है, जो कुल 27 पद का 50% से ज्यादा आरक्षण हो जाता है।	सरकार को विज्ञापित पदों को घटाने–बढ़ाने का सर्वाधिकार है। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु0 जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। उक्त अधिनियम के प्रावधानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3% पद पिछड़े वर्गो की महिला (WBC) के लिए आरक्षित है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–963 दिनांक–20.01.2016 के प्रावधानानुसार उक्त 3% (पिछड़े वर्गो की महिला) आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गो के शेष 97% पदों को महिलाओं के लिए सभी कोटि में क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है। अतः **समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री कुमार के दावे को विचार योग्य नहीं पाते हुए उसे खारिज करने की अनुशंसा की जाती है।**

6.	श्री कुमार अमन (GEN) AEC/0015993	सहायक अभियंता (असैनिक) के लिए अनारक्षित वर्ग में 77 पद के विरूद्ध 65 पद पर ही चयन हुआ है तथा महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अनुसार 65 पद में 23 पद अनुमान्य होता है। जबकि Selected List में महिला अभ्यर्थियों को 27 पद दिया गया है, जिसके कारण Waiting List के अभ्यर्थियों की सूची में नाम अंकित नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका–5 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री अमन के दावे को विचार योग्य नहीं पाते हुए उसे खारिज करने की अनुशंसा की जाती है।

4. उपरोक्त कंडिका–3 में अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा/आपत्ति पर वर्तमान परिस्थिति में विचार–विमर्श के उपरांत समिति द्वारा उक्त दावा/आपत्ति का निराकरण करते हुए तत्काल सहायक अभियंता (असैनिक) के 148 एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के 52 रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों की औपबंधिक/प्रतीक्षा सूची में सर्वसम्मति से संशोधन की अनुशंसा की जाती है। साथ ही सहायक अभियंता (विद्युत) का वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं रहने के कारण भविष्य में आवश्यकतानुसार नियोजन हेतु उसका भी प्रतीक्षा सूची तैयार करने एवं इस संशोधित चयनित/प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा किया जाता है।

29/02/2020
(जुल्फेकार अली प्यामी),
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, शाहपुर

29/02/2020
(राम सेवक प्रसाद),
अवर सचिव (स्थापना),
नगर विकास एवं आवास विभाग

Anusha 29/02/2020
(अनिल कुमार मिश्र),
कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग

29.2.20
(ईश्वर चन्द्र ठाकुर),
मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग

29/2/2020
(सुशील कुमार),
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
शिक्षा विभाग।

29.02.2020
(जय प्रकाश मंडल),
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–01/स्था0 (स0आ0)–01/2020 1229 /न0वि0एवं0आ0वि0,पटना,दिनांक– 06/3/2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/संबंधित सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.3.2020
(राम सेवक प्रसाद),
सरकार के अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग